तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रसन्न चन्द ओस्तवाल बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार भोपालगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 12/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी Prassan Chand Ostwal, No. 43, Strotten Muthia Mudali Street, 1st Floor, Sowcarpet, Chennai- 600079 ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.12.2017 में उसके द्वारा (1) तहसीलदार महोदय, भोपालगढ द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को पत्रांक राजस्व/वि./भूमि/आबं/98/165 दिनांक 07.03.1998 मय संलग्नक मौका दि. 21.01.1998 प्रेषित किया गया। उक्त संलग्न मौका फर्द में बिन्दु सं.4 (पेरा–4) में खसरा नं. 963 में गैर मु. मकान रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा की सरकार के खाते में दर्ज बताई गयी तथा प्लॉट नं. 2, 3, 8, 12 खाली भूखण्ड पड़े है, बताया गया। कृपया वर्तमान में इन भूखण्ड संख्या 2,3,8,12 की स्थिति बताये कि ये कहा पर स्थित है, किन व्यक्तियों के अतिक्रमण में है, वहां वर्तमान में क्या निर्माण कार्य हुआ है, विकय निरन्तर विकय नि किन व्यक्तियेां द्वारा कब कब हुआ व तहसलदार महोदय द्वारा इन व्यक्तियों द्वारा कब कब हुआ व तहसीलदार महोदय द्वान इन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है। यदि अभी भी खाली पड़े है तो इन सभी प्लॉट की 01 से 12 तक स्थिति, रकबा सूचित करावें, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 61 दिनांक 05.02.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि आवेदक ने ख.नं. 963 गै.मु. मकान के प्लॉट सं. 01 से 12 की स्थिति व अन्य सूचना चाही गई। चाही गई सूचना मौके का सर्वेक्षण करवाने के पश्चात् ही सृजित हा सकती है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचना अभिलेख पर उपलब्ध हो, देय है अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना दी जाना संभव नही थी। अपीलार्थी इस कार्यालय के पत्र कमांक/रीडर/2017/545 दिनांक 26.12.17 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्रार्थी प्रसन्नचंद को दी गई सूचना के संदर्भ में पत्रांक 545 दिनांक 26.12.17 की प्रति भी संलग्न की है, पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का पता पूर्ण नहीं लिखते हुए प्रेषित की गई। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें पत्र प्राप्त नहीं हुआ होगा। तहसील कार्यालय से प्राप्त पत्र की प्रति इस कार्यालय से प्रेषित किया जावे। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	